न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : रा० अपील नं. 49/2016 सुरेन्द्र कुमार बनाम श्री हरिनारायण

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12.4.21	पत्रावली पेश हुई आवाज दिलाई गई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 1 असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील अपीलार्थी व पैरोकार सरकार को सुना गया। बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध अपीलार्थी द्वारा दायर की गई एस०बी० सिविल रिट पिटीशन न0 5232/2017 उनवानी सुरेन्द्र कुमार यादव बनाम राज0 राज्य वगै0 में दिए गए निर्णय दिनांक 24-7-2020 तथा संशोधित निर्णय दिनांक 9-11-20 के अवलोकन से जाहिर होता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को स्वीकार किया गया है और रेस्पोंडेन्ट्स को याचिकाकर्ता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 25-7-2016 एवं 23.8.2016 द्वारा क्रय की गई आराजी का नामान्तरकरण निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के चार सप्ताह में खोलने के निर्देश दिये गये है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण खोलने के निर्देश दिये जाने के फलस्वरूप अपील अपीलार्थी प्रभावहीन (Infructuous) हो जाने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.7.2020 तथा संशोधित दिनांक 9-11-2020 अनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

लगातार.